उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शुक्रवार, 01 आश्विन, शक संवत् 1944

(23 सितम्बर, 2022)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

अनन्तिम रूप से

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022

3-नेता सदन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2022 (दिनांक 23-05-2022 से दिनांक 31-05-2022 तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली के नियम-115 (4) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, प्रदेश में हो रही ताबड़तोड़ हत्यायें, लूट, बलात्कार की घटनाओं से कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के सम्बन्ध में सर्वश्री राम अवध यादव, अहमद हसन, रामवृक्ष सिंह यादव, रणविजय सिंह, आनन्द भदौरिया, राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू, (डा0) राजपाल कश्यप व श्री बासुदेव यादव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

6-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सरकार की गलत नीतियों के कारण माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिरने के सम्बन्ध में सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम, (डा0) मान सिंह यादव, लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् व श्री रणविजय सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

7-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कोरोना काल के समय से लेकर अभी तक करवाये गये विकास कार्यों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 26 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-लोक निर्माण मंत्री, प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की व्यवसायिक कक्षाओं हेतु मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों हेतु पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

10-मुख्य मंत्री, जनपद-अमेठी की स्व0 मीरा देवी पत्नी श्री राम कुमार, ग्राम-किटयावां, विकास खण्ड-शाहगढ़ की कोविड से मृत्यु होने के पश्चात् मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के असहायिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के एकल स्थानान्तरण नीति को प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

12-मुख्य मंत्री, प्रदेश के राजस्व विभाग में लम्बित मामलों का निस्तारण समय-सीमा के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-जल शक्ति मंत्री, जनपद-गोण्डा, तहसील-करनैलगंज, विकास खण्ड-हलधरमऊ के मौजापुर (भारगौपुरवा) व सर्बागपुर नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महफूजुर्रहमान उर्फ महफूज खां व श्री रणविजय सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद-उन्नाव के श्री नारायण गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज में वित्तीय सहायता एवं शिक्षकों की कमी का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-उप मुख्य मंत्री, मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विधान मण्डल विकास निधि में संस्तुति की गयी धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं (शैक्षणिक संस्था) को अवमुक्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों के रिक्त मृतप्राय, अनुपयोगी व अप्रचारित पदों का पद नाम परिवर्तित करते हुए बिना किसी वित्तीय व्यय भार के आमेलन/विनियमितीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

17-मुख्य मंत्री, ग्राम-भखौवापुर, मजरे-धर्मदासपुर, थाना-जगतपुर, तहसील-ऊंचाहार, जनपद-रायबरेली के प्रधान व उसके परिवार की सुरक्षा हेतु एक आर्म्स लाइसेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् व

श्री दिनेश चन्द्रा, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-मुख्य मंत्री, जनपद-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में एफ0आई0आर0 नम्बर-0032, दिनांक 13 जनवरी, 2022 को पंजीकृत मुकदमों में पीड़ित व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन से न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-उच्च शिक्षा मंत्री, मुरादाबाद मण्डल में एक शासकीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 26 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-मुख्य मंत्री, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर की पुलिस द्वारा फर्जी तथा कूटरचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी के पुत्रगण व नाती को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुल्जिम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् व श्री अतर सिंह राव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 26 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-मुख्य मंत्री, ग्राम-दुमदुमवां, तहसील-नौगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर की खाता संख्या-00036 के गाटा संख्या-371, रकबा (0.0350) में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामधारी व्यक्तियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार सिंह व श्री रणविजय सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 26 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-मुख्य मंत्री, ग्राम-महदेवा खुर्द तप्पा निकसौली, परगना व तहसील-नौगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर की खाता संख्या-71 के गाटा संख्या-112झ, रकबा-0-2-4(0.0270) को सह खातेदारों में सरकारी बटवारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र उत्तम, सदस्य, विधान परिषद् व श्री रणविजय सिंह, पूर्व सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-मुख्य मंत्री, दिनांक 14 मार्च, 2022 को अज्ञात नकाबपोश असामाजिक तत्वों द्वारा शिक्षाविद् व मीडियाकर्मी डा0 शलभ भारद्वाज, प्राचार्य, जे0एन0एस0 डिग्री कालेज व निदेशक, 90.8 एफ0एम0 रेडियो स्टेशन एवं कम्युनिटी सेन्टर धनौरा, जनपद-अमरोहा

गेट पर दिन दहाड़े दोपहर 02 बजे प्राणघातक हमले में सम्पूर्ण गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

25-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-अम्बेडकर नगर के श्री हर्षेश्वर नाथ संस्कृत महाविद्यालय, ब्राह्मण पट्टी, भियांव में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

26-मुख्य मंत्री, जनपद-सीतापुर के सिधौली में स्थित वक्फ काजी रजी अहमद वक्फ संख्या-23 में सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुपालन में वर्तमान मुतवल्ली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-मुख्य मंत्री, मुरादाबाद मण्डल के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, जनपद-बिजनौर के प्रधानाचार्य को असामाजिक तत्वों से तत्काल सुरक्षा दिलाये जाने एवं प्रबंध समिति को भंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कोर्सेस के लिए कराये गये सी0पी0ए0टी0, 2016 एवं 2017 परीक्षा में भारत सरकार की मिनिमम स्टैन्डर्ड ऑफ एजुकेशन इन इण्डियन मेडिकल रेगुलेशन-86 में संशोधन दिनांक 07 नवम्बर, 2016 का पालन करने वाले संस्थानों एवं छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कराये जाने एवं आगामी लम्बित परीक्षाओं को तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में डा0

मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम तथा अधिकरण को जनपद-प्रयागराज से जनपद-लखनऊ में प्रमुख कार्यालय स्थानान्तरित होने के सम्बन्ध में श्री परवेज अली, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

30-मुख्य मंत्री, जनपद-बाराबंकी के ग्राम-मैकपुरवा, मजरा-इब्राहिमाबाद, तहसील-नवाबगंज, परगना-सतरिख में गाटा संख्या-4033 एवं चक रोड को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-मुख्य मंत्री, जनपद-अमरोहा के नौगावा तहसील के गांव सिरसा जट में 08 वर्षों से की जा रही चकबन्दी में विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-जल शक्ति मंत्री, सिंचाई विभाग के निर्माण खण्ड मेरठ में गंगा नहर मेरठ में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा कोरोना काल (लॉक डाउन) की अवधि दिनांक 23 मार्च, 2021 तक दस लाख से कम एवं दो लाख से कम धनराशि के अनुबन्धों को माप पुस्तिका में फर्जी दर्शा कर फर्म ठेकेदारों को भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 26 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी (बैच 1991) की नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची से नियुक्त उक्त समीक्षा अधिकारी की ज्येष्ठता सूची बनाए जाने में नियमावली का पालन न करने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा एक पेशेवर शिकायतकर्ता द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उत्तर प्रदेश सरकार से की गयी फर्जी व मनगढ़न्त ऑनलाइन शिकायत कर एस0आई0टी0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35-मुख्य मंत्री, लखनऊ जनपद स्थित सराय माली खां, चौक की अपर्णा दीक्षित पत्नी श्री विवेक दीक्षित को दिनांक 20 फरवरी, 2022 को अपराधिक किस्म के लोगों द्वारा घर में घुसकर अचानक हमला किये जाने तथा लूटपाट किये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री मार्कण्डेय सिंह, पूर्व प्रबन्धक, गहमर इण्टर कालेज, गहमर, जनपद-गाजीपुर के प्रबन्धकीय विवाद पर जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर द्वारा किये गये अवैधानिक निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

37-मुख्य मंत्री, जनपद-फतेहपुर के पट्टीशाह, थाना-हथगाम के शातिर अपराधी मु0 शरीफ पुत्र मु0 लतीफ द्वारा क्षेत्र के लोगों को हथियार के बल पर धमकाने तथा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-जल शक्ति मंत्री, ग्राम सभा-बर्डपुर, नम्बर-13, टोला मोतीपुर, विकास खण्ड-बर्डपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर में राजकीय ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणविजय सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-मुख्य मंत्री, जनपद-आगरा में दिनांक 02 मई, 2021 से 04 मई, 2021 तक हो रही मतगणना में ग्राम प्रधानों एवं बी0डी0सी0 सदस्यों को दिये जा रहे प्रमाण-पत्र के दौरान कतिपय लोगों द्वारा अधिकारियों को धमकाये जाने के बावजूद कार्यवाही न होने के

सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

40-उप मुख्य मंत्री, मनरेगा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत में 37 हजार रोजगार सेवकों को 10 हजार रुपये की घोषणा करके मात्र 7881 रुपये दिये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

41-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-रजऊ, विकास खण्ड-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

42-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-अतरछेड़ी, विकास खण्ड-आंवला, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से अरिल नदी के पुल के दोनों ओर सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

43-श्री अरुण पाठक, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत निकट उदयपुर नहर पुल, जनपद-कानपुर नगर के निवासियों की ओर से सड़क का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

44-श्री अरुण पाठक, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत जनपद-कानपुर देहात के निवासियों की ओर से अलियापुर से सुनवर्सा की सड़क का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

45-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

46-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

47-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-सराय जलाल, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत व बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

48-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-अजीत नगर, गली नम्बर-06, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

49-श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-शहजादपुर, मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

50-श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद के निवासियों की ओर से क्रासिंग रिपब्लिक रोड से अपना ढाबा तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

51-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गंगथरा, ब्लाक-नदीगांव, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

52-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-खड़ौवा, ब्लाक-मोंठ, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से विवाह घर (सामुदायिक केन्द्र) का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

53-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत विराम खण्ड-5, निकट संकट मोचन मन्दिर, गोमती नगर, विकास खण्ड-चिनहट, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से पार्क का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ढ')

54-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सेक्टर-एन, आशियाना कॉलोनी, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से टंकी वाले पार्क का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ण')

55-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के ग्राम पंचायत-टांघन, विकास खण्ड-जगतपुर, तहसील-ऊंचाहार, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से झारखण्डेश्वर शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार व अन्य जनसुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'त')

56-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्रामसभा-सैदापुर करनपुर व मस्जिदपुर, विकास खण्ड-लखीमपुर (सदर), जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'थ')

57-श्री वागीश पाठक, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-अब्दुल्लागंज, विकास खण्ड-उझानी, जनपद-बदायूं के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'द')

58-श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-किरथरा ठार मौजा किरथरा मोहम्मदपुर, विकास खण्ड व तहसील-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से नये रास्ते हेतु जमीन अधिग्रहित कर सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ध')

59-श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत लाला लाजपत राय वार्ड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'न')

60-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बालाजीपुरम, मटियारी, शहीद भगत सिंह वार्ड-633, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'प')

61-श्री मुकुल, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सनसिटी कालोनी, कमता, चिनहट, ईस्माइलगंज द्वितीय वार्ड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण, सीवर की मरम्मत व तालाब का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'फ')

62-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सोरांव जनपद-प्रयागराज के निवासियों की ओर से सड़क की मरम्मत का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ब')

अनन्तिम रूप से

63-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम रूप से

64-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

अनन्तिम रूप से

65-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम रूप से

66-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

67-राष्ट्रगान। (देखिये नत्थी 'भ')

लखनऊ :
शुक्रवार, 01 आश्विन, शक संवत् 1944
(23 सितम्बर, 2022)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

23 सितम्बर, 2022 — **विधान परिषद् के द्वितीय सत्र (2022) का प्रथम शुक्रवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	28-6-2022
*2	28-6-2022
*3	28-6-2022
*4	28-6-2022
*5	28-6-2022
*6	28-6-2022
*7	28-6-2022
*8	5-8-2022
*9	5-8-2022
*10	7-9-2022
*11	7-9-2022
*12	7-9-2022
*13	7-9-2022
*14	7-9-2022
*15	7-9-2022
*16	7-9-2022
*17	7-9-2022
*18	7-9-2022
*19	7-9-2022
*20	7-9-2022
*21	7-9-2022
*22	7-9-2022
*23	7-9-2022
*24	8-9-2022
*25	8-9-2022
*26	8-9-2022
*27	8-9-2022
*28	8-9-2022

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	28-7-2022
2	28-7-2022
3	28-7-2022
4	28-7-2022
5	28-7-2022
6	28-7-2022
7	28-7-2022
8	28-7-2022
9	28-7-2022
10	28-7-2022
11	28-7-2022
12	28-7-2022
13	28-7-2022
14	28-7-2022
15	28-7-2022
16	28-7-2022
17	28-7-2022
18	28-7-2022
19	28-7-2022
20	28-7-2022
21	28-7-2022
22	2-8-2022
23	2-8-2022
24	2-8-2022
25	2-8-2022
26	2-8-2022
27	2-8-2022
28	2-8-2022
29	2-8-2022
30	2-8-2022
31	2-8-2022
32	2-8-2022
33	5-8-2022
34	5-8-2022
35	5-8-2022
36	5-8-2022
37	5-8-2022
38	5-8-2022
39	5-8-2022
40	5-8-2022

नत्थी 'क'

शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, सन् 2022 ई0

तारांकित प्रश्न

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-चकअफोई, ब्लाक-पल्हना, तहसील-लालगंज की बंजर भूमि पर बने कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया — मुख्य मंत्री

*1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि परिषद् की दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के तृतीय सत्र 2021 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर के क्रम में

1

'क' भाग में कहा गया है कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् की आख्यानुसार ग्राम-चकअफोई, ब्लाक-पल्हना, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ की गाटा संख्या-148/0.030 हे0 जो बंजर भूमि थी, सजरे में उक्त गाटा संख्या में कुआं दर्शाया गया है, पर मौके पर कोई कुआं न होकर पक्का मकान बना है।

(ख) क्या यह दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित में दिये गये निर्देशों जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सार्वजनिक जमीन पर कोई कुआं या पोखर था, उसे अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाये, का उल्लंघन है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त सजरे में अंकित कुयें को यथाशीघ्र चिन्हित कराते हुर्य मानवीय सम्पदा (कुयें) को अतिक्रमण मुक्त कराके सदन को अवगत करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-कौशाम्बी के ग्राम-चौराडीह, ब्लाक चायल में कल्लू केशरवानी के घर से दासा तालाब तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
2

*2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-चौराडीह, ब्लाक-चायल, जनपद-कौशाम्बी में कल्लू केशरवानी के घर से डा0 मोहन के घर तक नाली न होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या कल्लू केशरवानी के घर से जितेन्द्र त्रिपाठी एवं बालमुकुन्द त्रिपाठी, पूर्व प्रधान के घर से होते हुए दासा तालाब तक नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक उक्त नाली का निर्माण करा दिया जायेगा ?

जनपद-मैनपुरी के तहसील-कुरावली के अन्तर्गत ग्राम-कल्यानपुर में तालाब की भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
3

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि तहसील कुरावली जनपद-मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम-कल्यानपुर के गाटा संख्या-102 भू-अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त तालाब की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस तालाब की जमीन को रिक्त कराने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर तालाब के रूप में पुनः विकसित करायेंगे ?

(घ) क्या उक्त तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करायेंगे ?

उ0प्र0 सचिवालय में लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के पश्चात् चयनोपरान्त कार्यरत समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में किये गये विभेदीकरण को दूर करते हुये नियमानुसार ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी 4 — मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के पश्चात् प्रतीक्षा सूची से चयनोपरान्त कार्यरत समीक्षा अधिकारियों (बैच 1991) की ज्येष्ठता बनाये जाने में किये गये विभेदीकरण एवं अनियमितता को दूर कर नियमानुसार ज्येष्ठता बनाने विषयक श्री दीपक सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्रांक 235/स0वि0स0/स0वि0प0/2022, दिनांक 07 अप्रैल, 2022, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार विभेदीकरण दूर करते हए नियमानुसार ज्येष्ठता सूची बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण रादन की नेज पर रखेंगे।

जनपद-वाराणसी समेत कई जनपदों में वी0वी0आई0पी0 व्यक्तियों की अगवानी के लिए बेसिक शिक्षकों तथा छात्र-छात्राओं की ड्यूटी लगाये जाने पर अतिरिक्त वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 5 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*5-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी समेत कई जनपद में वी0वी0आई0पी0 व्यक्तियों की अगवानी के लिए बेसिक शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को कड़ी धूप में ड्यूटी क्यों लगाई जाती है तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश

(20 मई से 15 जून) के बीच भी शिक्षकों की ड्यूटी योग कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगाई जाती है ?

(ख) क्या सरकार इनको अतिरिक्त वेतन देगी ?

(ग) यदि हाँ, तो कब से ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-कानपुर नगर व उन्नाव तथा कानपुर देहात के राजकीय माध्यमिक संस्थाओं में प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 6	*6-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) संचालित हैं ? (ख) जनपद कानपुर नगर व उन्नाव तथा कानपुर देहात के राजकीय माध्यमिक संस्थाओं में कितने प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं ? (ग) उपरोक्त सन्दर्भित जनपदों में प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के पदों के रिक्त पदों के सापेक्ष कब तक नियुक्ति की व्यवस्था करा दी जायेगी ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रदेश में ऊसर व बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के उपरान्त भूमिहीन कृषकों व मजदूरों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 7	*7-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में ऊसर एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाये जाने की संचालित योजना से वर्ष 2022 व 2023 में कितनी हेक्टेयर ऊसर एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? (ख) क्या उक्त कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन कृषकों व मजदूरों को आवंटित किया जायेगा ? (ग) क्या आवंटन प्रक्रिया उक्त योजना से उपजाऊ भूमि बनने के उपरान्त होगी ? (घ) क्या ऊसर एवं बंजर भूमि का आवंटन करते हुए भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री

जनपद-हापुड़, तगासराय में रामनिवास स्मारक बालिका इण्टर कालेज में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री उमेश द्विवेदी
8

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*8-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हापुड़, तगासराय में रामनिवास स्मारक बालिका इण्टर कालेज में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक सं0-3793/चयन/123-2021/06 के अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़ द्वारा क्या माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो अनियमित तरीके से 'प्रत्याशा' की व्याख्या करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

खसरा नं0-218, गांव पट्टी पचगई रोहता, ब्लॉक-बरौली अहीर, तहसील सदर, जिला आगरा में प्रधान व भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा पोखर की जगह गूल खोदवा कर उसमें गांव का गंदा पानी डलवाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल
9

मुख्य मंत्री

*9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खसरा नम्बर-218, गांव पट्टी पचगई रोहता, ब्लाक-बरौली अहीर, तहसील-सदर, जिला आगरा में प्रधान व भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा गांव की पोखर को खोदने की जगह किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु गूल को खुदवा कर उसमें गांव का गंदा पानी डालने के लिए गूल खुदवाई जा रही है जबकि भू-राजस्व अभिलेखों में 62 सालों से यह भूमि पोखर के नाम दर्ज है ?

(ख) पूर्व प्रधान व पूर्व राजस्व अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके राजस्व अभिलेखों में पोखर को हटाकर उसमें आबादी दर्ज करा दी गयी है, वर्तमान में भी भूमि पर पोखर बना हुआ है, जबकि नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें गांव का पानी गूल में नहीं डाला जाएगा ?

(ग) क्या नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, उसके लिए किस स्तर के अधिकारी जिम्मेदार हैं और इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी ?

जनपद-बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के सफेदाबाद से ग्राम सरपरा रेलवे फाटक पर सड़क के किनारे दोनों तरफ तथा तालाब पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में

श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया
10

मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के सफेदाबाद से ग्राम सरपरा रेलवे फाटक से पहले जो रास्ता जाता है उस पर 200 मी0 तथा सड़क किनारे स्थित तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या जनहित में सड़क के किनारे दोनों तरफ तथा तालाब पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-कौशाम्बी के ग्राम चौराडीह, ब्लाक-चायल में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
11

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*11-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चौराडीह, ब्लाक चायल, जनपद कौशाम्बी में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने हेतु डा0 संजय लाठर, तत्कालीन नेता विरोधी दल, विधान परिषद्, उ0प्र0 का पत्र, दिनांक 23 मई, 2022 जोकि अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है।

(ग) उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

जनपद-लखनऊ के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम-कंचनपुर मटियारी के गाटा सं0-315 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
12

मुख्य मंत्री

*12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि तहसील सदर, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम कंचनपुर मटियारी के गाटा संख्या-315 भू-अभिलेखों में ऊसर भूमि के रूप में अंकित है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत से उक्त भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य कराया गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करायेंगे ?

स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को चयन वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी 13 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*13-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दस वर्ष की निरन्तर सेवा के फलस्वरूप चयन वेतनमान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों/शिक्षिकाओं को उक्त का लाभ दिया जायेगा ?

(ग) यदि हाँ, तो कब से ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला-सोनभद्र के ब्लाक-म्योरपुर के मेडरदह, जिला चन्दौली के ब्लाक-नौगढ़ तथा जिला-मिर्जापुर के ब्लाक-मझवां के महामलपुर में माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 14 — माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*14-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला-सोनभद्र के ब्लाक-म्योरपुर के मेडरदह, ब्लाक-चतरा के रामगढ़, ब्लाक-नगवां के नन्दना, जिला-चन्दौली के ब्लाक-नौगढ़ के पचकेरिया गढ़वा, जिला-मिर्जापुर के ब्लाक-मझवां के महामलपुर, ब्लाक-राजगढ़ के बैरमपुर में अपूर्ण माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो पठन-पाठन कब शुरू होगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश के सरकारी फार्मेसी कालेज में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी 15 — प्राविधिक शिक्षा मंत्री

*15-(क) क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी फार्मेसी कालेज हैं जिनमें डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स का संचालन किया जा रहा है ?

(ख) क्या लोक सेवा आयोग उ0प्र0 से उ0प्र0 टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) सर्विस परीक्षा 2021 के माध्यम से उक्त कालेजों में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी ?

(ग) उक्त परीक्षा के माध्यम से अब तक कितने उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या उक्त सरकारी फार्मेसी कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर पड़ रहा है एवं कालेजों का सत्र शून्य होने के कगार पर है ?

जनपद-सोनभद्र में डी0एम0एफ0 मद से जल निगम की देख-रेख में निर्माणाधीन अनपरा व कुलडोमरी समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 16 — जल शक्ति मंत्री

*16-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सोनभद्र में डी0एम0एफ0 मद से जल निगम (ग्रामीण) की देख-रेख में निर्माणाधीन अनपरा व कुलडोमरी समूह पेयजल योजना को कुल कितना बजट आवंटित किया गया व आवंटित मद से कुल कितने कि0मी0 पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाना प्रस्तावित था व कुल कितने मकानों को पेयजल कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित था ?

(ख) क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

लखनऊ मण्डल में जनपदवार प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 17 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*17-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल में जनपदवार कितने प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ?

(ख) क्या उक्त विद्यालयों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-इटावा के थाना सहसों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 18 — मुख्य मंत्री

*18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में जनपदवार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक कितने मुकदमे पंजीकृत किये गये ?

(ख) जनपद इटावा के थाना-सहसों में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 के बीच कितने पंजीकृत मुकदमों में कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को लेखा-पर्ची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 19 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*19-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में जी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित कुल कितने शिक्षक, कर्मचारी, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं ?

(ख) उक्त शिक्षकों को लेखा-पर्ची किस वित्तीय वर्ष से नहीं प्रदान की गयी तथा लेखा-पर्ची निर्गत न किये जाने का क्या कारण है ?

(ग) उक्त शिक्षकों, कर्मचारियों को लेखा-पर्ची कब तक निर्गत करा दी जायेगी ?

परिषद् के प्रथम सत्र-2022 के तृतीय शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0-17 के खण्ड (ख) के क्रम में विकास खण्ड चकरनगर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 20 — मुख्य मंत्री

*20-(क) क्या मुख्य मंत्री परिषद् के प्रथम सत्र 2022 के तृतीय शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के खण्ड (ख) के क्रम में बतायेंगे कि विकास खण्ड चकरनगर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित 484 व्यक्तियों को राजस्व विभाग द्वारा ग्रह अनुदान वितरित किया गया है ?

(ख) क्या उक्त लाभार्थियों की सूची अनुदान राशि सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश में शिक्षा-मित्रों को एक समान कार्य हेतु एक समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 21 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*21-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि चार प्रदेश में शिक्षा-मित्रों को एक समान कार्य हेतु एक समान वेतन दिये जाने पर विचार करेंगे ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-गोरखपुर में बेसिक शिक्षा के विगत 02 वर्षों में निम्नलिखित शिक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 22 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*22-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर में बेसिक शिक्षा के विगत 02 वर्षों में निलम्बित शिक्षकों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त निलम्बित शिक्षक किन-किन आरोपों में निलम्बित किये गये तथा अब तक कितने निलम्बित शिक्षक बहाल किये गये ?

(ग) उक्त निलम्बित शिक्षकों की बहाली के क्या कारण रहे ?

प्रयागराज जिले के हण्डिया तहसील स्थित ग्राम व परगना पिडौना में बने तालाब से अवैध निर्माण हटवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री उमेश द्विवेदी 23 — मुख्य मंत्री

*23-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज जिले के हण्डिया तहसील स्थित ग्राम व परगना पिडौना (मह) में खतौनी क्रम संख्या 00879 तथा खसरा संख्या 682 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है ?

(ख) क्या तालाब के कुछ भागों को कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा समतल करके पक्का अवैध निर्माण करा लिया गया है।

(ग) यदि हाँ, तो उक्त अवैध निर्माण के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

(घ) क्या जनहित में उक्त तालाब का पुनः सीमांकन कराते हुए अवैध निर्माण को हटवाकर सदन को अवगत करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रयागराज में तहसील-सोरांव, ब्लाक-श्रृग्वेरपुर मौजा पिपरौध के गांव का विकास न कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 24 — मुख्य मंत्री

*24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रयागराज में तहसील सोरांव, ब्लाक श्रृग्वेरपुर मौजा पिपरोध के गाँव बलुवन का पूरा में विगत 15-20 वर्षों से नाली खड़न्जा का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो इतने वर्षों में गाँव सभा के विकास के लिए जो पैसा सरकार से मिला वह पैसा कहां खर्च किया गया है ?

(ग) गांव का विकास न कराने के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्राचार्यों की नियुक्ति में शासनादेश का उल्लंघन करने वाले प्रबन्धतंत्रों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह 25 — उच्च शिक्षा मंत्री

*25-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के कितने अशासकीय महाविद्यालयों से दिनांक 30 जून, 2020 को प्राचार्य सेवानिवृत्त हुये हैं तथा कितने महाविद्यालयों में प्राचार्यों को कार्यभार दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के शासनादेश में वर्णित यू0जी0सी0 के नये विनियमों के अन्तर्गत सौंपी गयी है ?

(ख) कितने महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्राचार्यों की नियुक्ति में शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है ?

(ग) क्या ऐसे महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्रों पर जो शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव, ब्लाक श्रृग्वेरपुर मौजा पिपरौध के गांव में चकरोड की इण्टरलॉकिंग कराने तथा चकरोड के किनारे परती की जमीन से अवैध कब्जा को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 26 — मुख्य मंत्री

*26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव, ब्लाक श्रृंग्वेरपुर, मौजा पिपरौध के गांव बलुवन का पूरा के पंचायत भवन से ब्राहमा पाण्डेय के घर तक चकरोड को काट कर वर्षों पूर्व खेत मे मिला लिया गया है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गयी है ?

(ख) चकरोड काटने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा चकरोड की इण्टरलाकिंग कब तक करा दी जायेगी ?

(ग) क्या कुछ दबंग लोगों ने चकरोड के किनारे परती की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है ?

(घ) यदि हाँ, तो परती जमीन से अवैध कब्जा हटवायेंगे ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन का पैसा सम्बन्धित शिक्षकों को समय से दिये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 27 — माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*27-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि यू0पी0 बोर्ड की जो परीक्षा का मूल्यांकन कार्य होता है उस मूल्यांकन का पैसा संबंधित शिक्षक को दिया जाता है ?

(ख) वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक हुई यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन का कितना रुपया वर्षवार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का बकाया है तथा मूल्यांकन कार्य की अवशेष धनराशि कब तक शिक्षकों को मिलेगी ?

(ग) शिक्षकों को उसके परिश्रम एवं मूल्यांकन का पैसा समय पर मिले, उसके लिए सरकार का दायित्व है ?

(घ) यदि हां, तो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(ङ) क्या शिक्षकों के परिश्रम एवं मूल्यांकन का पैसा समय पर मिले, उसके लिए कोई नियम बनायेंगे ?

शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रुपया स्कूलों को समय से मिलने के लिए नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 28	*28-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक कितने छात्रों एवं स्कूल का रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है ? (ख) शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रुपया कब तक स्कूलों को मिल जायेगा ? (ग) क्या शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रुपया समय पर मिले, उसके लिए सरकार का दायित्व निर्धारित है ? (घ) यदि हाँ, तो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? (ङ) क्या शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रुपया स्कूलों को समय पर मिले, उसके लिए सरकार कोई नियम बनायेगी ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अतारांकित प्रश्न

श्री भीमराव अम्बेडकर 1	1-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बरेली व मुरादाबाद मण्डल में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में, माह जुलाई, 2018 में कुल कार्यरत अनुमोदित एल0टी0 शिक्षकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों तथा कुल छात्रों की संख्या विद्यालयवार कितनी थी ? (ख) क्या उक्त की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 2	2-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि कानपुर, अलीगढ़ व लखनऊ मण्डल में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में, माह जुलाई, 2018 में कुल कार्यरत अनुमोदित एल0टी0 शिक्षकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों तथा कुल छात्रों की संख्या विद्यालयवार कितनी थी ? (ख) क्या उक्त की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 3	3-[अन्तरित]	

डा0 मान सिंह यादव 4	4-[अन्तरित]	
श्री भीमराव अम्बेडकर 5	5-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर व वाराणसी मण्डल में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में, माह जुलाई, 2018 में कुल कार्यरत अनुमोदित एल0टी0 शिक्षकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों तथा कुल छात्रों की संख्या विद्यालयवार कितनी थी ? (ख) क्या उक्त की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 6	6-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मेरठ व इलाहाबाद मण्डल में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में, माह जुलाई, 2018 में कुल कार्यरत अनुमोदित एल0टी0 शिक्षकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों तथा कुल छात्रों की संख्या विद्यालयवार कितनी थी ? (ख) क्या उक्त की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हुए हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 8	8-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चतुरी खेड़ा, थाना-मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में दबंगों द्वारा किसानों की आम की बाग में आग लगाये जाने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा न पंजीकृत किये जाने एवं पीड़ित पक्ष के ऊपर भी 151/107/116 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का उल्लेख करते हुए दबंगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने हेतु दीपक सिंह सभापति, विनियमन समीक्षा समिति उत्तर प्रदेश का पत्र, दिनांक 22 जून, 2022 जोकि आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और सभी मुख्य बिन्दुओं पर कार्यवाही करा दी गई है ? (ग) क्या उक्त के क्रम में दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में आग लगाये जाने का उल्लेख भी किया गया है ?	मुख्य मंत्री

(घ) यदि हाँ, तो आग लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही और किस धारा के अन्तर्गत हुई है।

डा0 मान सिंह यादव 9 — मुख्य मंत्री

9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खसरा संख्या-1447 ग्राम-काकोरी, तहसील सदर, जनपद-लखनऊ की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामांकित व्यक्ति ही काबिज है ?

(ख) यदि नहीं, तो उक्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामांकित व्यक्तियों को कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 10 — मुख्य मंत्री

10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-चौबारा छिददूपुरा, थाना-होलागढ़, जनपद प्रयागराज में हाई-स्पीड ब्रेकर से हो रही राहगीरों की परेशानियों का उल्लेख करते हुए उक्त का विरोध करने वाले व्यक्तियों के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने हेतु श्री लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् का पत्र, दिनांक 04 जुलाई, 2022 जोकि मुख्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव, गृह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाई-स्पीड ब्रेकर को हटवाते हुए ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करा दी गई है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 11 — मुख्य मंत्री

11-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम बरावन कला, परगना तहसील व जनपद लखनऊ में सामूहिक रास्ते से संबंधित समस्या का समाधान कराये जाने हेतु दीपक सिंह, तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का दिनांक, 22 जून, 2022 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के क्रम में तहसील प्रशासन द्वारा आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157220091008 में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही कराये जाने की आख्या प्रस्तुत की गई है ?

(ग) यदि हाँ, तो अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 12 — उप मुख्य मंत्री

12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अनिवार्य मजदूरी योजना संचालित है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या मनरेगा योजना अनिवार्य मजदूरी योजना है ?

	(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना संचालित की जायेगी और प्राइवेट मजदूरी की दर पर मजदूरों को भुगतान किया जायेगा ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री भीमराव अम्बेडकर 13	13-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि आगरा-झांसी मण्डल में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में, माह जुलाई, 2018 में कुल कार्यरत अनुमोदित एल0टी0 शिक्षकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों तथा कुल छात्रों की संख्या विद्यालयवार कितनी थी ? (ख) क्या उक्त की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 14	14-(क) क्या उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रयागराज की तहसील-फूलपुर में यादव चौराहा, बाबूगंज से चिरौड़ा होते हुए हनुमान गंज जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी हो रही है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का विगत कई वर्षों से पूर्ण निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 15	15-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि थाना सरायइनायत जनपद-प्रयागराज में एफ0आई0आर0 संख्या-0210, दिनांक 13 जुलाई, 2022 दर्ज की गयी है ? (ख) यदि हां, तो उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 16	16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सलेमपुर पतौरा, ब्लाक काकोरी, जनपद-लखनऊ में हरिश्चन्द्र, सुरेन्द्र और दुर्जन के घर होते हुए जीत बहादुर के घर तक मार्ग कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग पर आर0सी0सी0 रोड बनवायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 17	17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-गोपालपुर चांदा विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा जनपद-सुल्तानपुर में रोड बनाये जाने हेतु डा0 राजपाल कश्यप, तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 23 मई, 2022 जोकि अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री उ0प्र0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 18	18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चौराडीह, ब्लाक चायल, जनपद कौशाम्बी में नाली बनाये जाने हेतु लाल बिहारी यादव तत्कालीन नेता विरोधी दल, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का पत्र, दिनांक 06 जुलाई, 2022 जोकि अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 19	19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में अवैध रूप से फ्लैटों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों से फ्लैटों को कब्जा मुक्त कराते हुए उक्त प्रकरण की अन्य जनपद से जांच करा कर पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाये जाने हेतु श्रीचन्द्र शर्मा, सभापति, विधान मण्डल सदस्यों की आवासीय परिवाद संबंधी जाँच समिति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2022 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रकरण में अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार उपरोक्त प्रकरण की जाँच अन्य जनपद से कराकर पीड़ितों को न्याय दिला दिया गया है ? (घ) यदि नहीं, तो कब तक उक्त प्रकरण की जाँच अन्य जनपद से कराकर पीड़ितों को न्याय दिलायेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 20	20-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चरवा, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, में सामूहिक रास्ते को खुलवाये जाने हेतु महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा का संलग्नकों सहित पत्र दिनांक 27 जून, 2022 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सामूहिक रास्ते को खुलवा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो उक्त सामूहिक रास्ते को कब तक खुलवा दिया जायेगा ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 21	21-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम सभा मिर्जापुर के ग्राम कपूरखेड़ा में भुईया देवी के मंदिर से गंगाराम पुत्र स्व0 अंगनू के घर तक लगभग 40 मीटर रोड पक्की न होने के कारण राहगीरों एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग को कब तक पक्का करा दिया जायेगा ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 23	23-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा के विकास खण्ड-महेवा की ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकियां प्रस्तावित हैं ? (ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित ग्राम पंचायतों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या छूटे ग्रामों में भी पानी की टंकियों का निर्माण करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 24	24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर के तहसील-शाहगंज के ग्राम जौकाबाद के चक मार्ग संख्या-359 कहाँ से कहाँ तक जाकर जोड़ती है ? (ख) क्या दिनांक 12-05-2022 को सीमांकन कराने के बाद भी चक मार्ग कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है ? (ग) यदि हाँ, तो किसके द्वारा उक्त चक मार्ग खाली नहीं कराया गया है। (घ) उक्त चक मार्ग को कब तक खाली करवा दिया जायेगा ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 25	25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह के खिलाफ जनपद-लखनऊ के थाना-तालकटोरा में एफ0आई0आर0 संख्या-0141 दिनांक 17.08.2021 पंजीकृत किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 26	26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मथुरा के ग्राम-झोपड़ी, पोस्ट कुंम्हा, ब्लाक-राया में नाली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर कब तक नाली का निर्माण करा दिया जायेगा ?	मुख्य मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 27	27-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा के विकास खण्ड चकरनगर की ग्राम पंचायत सहसों में पंचायत भवन निर्मित है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय चल रहा है या उसे अन्य प्रयोग में लिया जा रहा है ? (ग) क्या उक्त पंचायत भवन को पंचायत कार्यालय हेतु पंचायत को उपलब्ध करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 28	28-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा की तहसील-चकरनगर के मौजा नवादा बहादुर में चकबन्दी की प्रक्रिया संचालित है ? (ख) यदि हाँ, तो नवादा के मजरा नगला फतेह में मुख्य सड़क से गाँव तक रास्ता निकाला गया है ? (ग) यदि नहीं, तो रास्ता निकाले जाने की कार्यवाही करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी 29	29-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विजय शंकर गुप्ता अध्यक्ष, भा0ज0पा0, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मण्डल गड़वार, जनपद-बलिया का आपको सम्बोधित पत्र, दिनांक 23 मई, 2021 तथा 10 मई, 2020 जो कन्या पाठशाला, गड़वार, जनपद बलिया के लिए सुरक्षित/आरक्षित भूमि से दबंगों के चंगुल से/अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या-क्या थे तथा उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ? (ग) अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के प्रमुख कारण क्या हैं तथा इसके लिए दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं ? (घ) क्या उक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया को कोई सूचना दी गई है ? (ङ) यदि हाँ, तो उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?	मुख्य मंत्री

श्री अशोक कुमार 30 — जल शक्ति मंत्री

30-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि अमित सिंह चौहान, विधायक, बीकापुर, फैजाबाद का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 जो मुख्य मंत्री को व दिनांक 04 अप्रैल, 2022 जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित था, जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पर ग्राम-गोपालपुर के पास नहर की दाहिनी पटरी पर खड़न्जा निर्माण हेतु शासन द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये का आवंटन सिंचाई खण्ड अयोध्या को किया गया था, जिसका कार्य मानक के अनुसार न करके, धन का दुरुपयोग करते हुए भारी अनियमितता किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व है ?

(ग) जाँच में क्या कार्य मानक विहीन एवं भारी अनियमितता पायी गयी थी ?

(घ) यदि हाँ, तो जांच कब पूर्ण हुई तथा जांच में कौन-कौन अनियमितता प्रकाश में आयी एवं उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ?

(ङ) क्या जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे।

(च) क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कार्य मानक के अनुरूप कराया जायेगा ?

(छ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ज) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार 31 — जल शक्ति मंत्री

31-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि अमित सिंह चौहान, विधायक, बीकापुर, फैजाबाद का पत्र, दिनांक 10 व 20 मई, 2022 तथा दिनांक 08.06.2022 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को एवं पुनः अनुस्मारक पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, विकास खण्ड-सोहावल के अन्तर्गत ग्राम समूह ढ़ेमवा रामपुर कछार की सुरक्षा हेतु, ढ़ेमवा पुल से ढ़ेमवा शमशान घाट के मध्य कटाव निरोधक कार्य एवं ग्राम समूह रौनाही आदि तथा रौनाही पम्प हाउस की सुरक्षा हेतु पम्प हाउस के अपर स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में स्टोन बोल्डर पिचिंग एवं निर्मित डैम्प सं0 1 से 09 तक के पुनरोद्धार कार्य हेतु पत्र में वर्णित क्रमांक 01 से 05 तक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जाँच टी0ए0सी0 अथवा उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराते हुए जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं अन्य उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

(ग) क्या भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों की जांच उसी विभाग के अधिकारियों से कराई गई है ?

(घ) क्या पूरे प्रकरण की जाँच पुनः शासन स्तर से जांच समिति गठित करते हुए टी0ए0सी0 से कराई जायेगी ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 32 — मुख्य मंत्री

32-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मथुरा के थाना सुरीर में सड़क दुर्घटना में मृत कृषकों के सम्बन्ध में दर्ज एफआई0आर0 नम्बर 336/2020, दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 में सभी मृत कृषकों के आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का भुगतान करा दिया गया है ?

(ख) क्या उक्त एफ0आई0आर0 में इंगित दुर्घटना में मृत कृषकों का पंचनामा न हो पाने के कारण कुछ आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटना में मृत सभी कृषकों के आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का भुगतान कब तक करायेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 33 — उप मुख्य मंत्री

33-(क) क्या उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मनरेगा के अन्तर्गत जनपद देवरिया में विगत 02 वर्षों से वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

(ख) क्या अभी भी स्वीकृत परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो जनपद देवरिया में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं, जिनके कार्य अभी अधूरे हैं तथा धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ?

(घ) क्या जिलाधिकारी द्वारा उन अधूरी परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब ?

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी 34 — उप मुख्य मंत्री

34-(क) क्या उप मुख्य मंत्री विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 (क) एवं (ख) के उत्तर

के क्रम में बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में मनरेगा के अन्तर्गत ग्राग-कल्यानपुर, विकास खण्ड-कुरावली, जनपद मैनपुरी में स्वीकृत परियोजनाओं में से क्रमशः तीन-तीन परियोजनाएं कौन-सी शेष बची हैं ?

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब और उन परियोजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 35 — जल शक्ति मंत्री

35-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत-चहलारी में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी प्रस्तावित है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पानी की टंकी का निर्माण कब तक करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 36 — उच्च शिक्षा मंत्री

36-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक समान परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो पाठ्यक्रमवार परीक्षा शुल्क का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या सरकारी विश्वविद्यालयों में निर्धारित परीक्षा शुल्क को प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी लागू करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो उक्त आदेश कब तक जारी करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 37 — मुख्य मंत्री

37-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा के तहसील क्षेत्र-सैफई में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाने हेतु भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके इंतखाब की छायाप्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या उक्त अभिलेखों में दर्ज भूमि पर डा0 अम्बेडकर पार्क निर्मित करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 38 — मुख्य मंत्री

38-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के तुलसीपुर महमूरगंज थाना भेलपुर आराजी नं0 234-235 के मकानों पर हुए अवैध कब्जे का विवाद उपजिलाधिकारी

सदर, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनांक 29-06-2022 को आया था ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 39 — मुख्य मंत्री

39-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बहराइच के तहसील-मिहिरपुरवा, ग्राग चहलवा में आराजी गाटा संख्या-108, 106, 1971, 1972, 1723, 1724, 1340, 101, 1936, 784, 7810, 118 एवं 151 किन-किन व्यक्तियों के नाम दर्ज है ?

(ख) क्या उक्त गाटा संख्याओं एवं खतौनी के क्रम में अवैध भू-माफिया काबिज हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त अवैध कब्जों को हटवाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 40 — मुख्य मंत्री

40-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा के तहसील क्षेत्र-इटावा में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाने हेतु भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके इंतखाब की छायाप्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या उक्त अभिलेखों में अंकित स्थान पर डा0 अम्बेडकर पार्क निर्मित करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-फरीदपुर, ग्राम-रजऊ में श्री फूल चन्द के घर से श्याम कुमार मिश्रा के घर तक लगभग-70 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-रजऊ, विकास खण्ड-फरीदपुर, जिला-बरेली के निवासी हैं। ग्राम-रजऊ में फूल चन्द के घर से श्याम कुमार मिश्रा के घर तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है पिछले कई वर्षों से कोई भी मरम्मत व निर्माण का कार्य इस मार्ग पर नहीं हुआ है। जिसके कारण ग्रामवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-रजऊ में श्री फूल चन्द के घर के श्याम कुमार मिश्रा के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास विकास खण्ड-आंवला, ग्राम-अतरछेड़ी में अतरछेड़ी-डरूआपुर के बीच में निर्मित आरिल नदी के पुल के दोनों तरफ लगभग-300 मीटर डामरीकरण सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-अतरछेड़ी, विकास खण्ड-आंवला, जिला-बरेली के निवासी हैं। ग्राम-अतरछेड़ी-डरूआपुर के बीच में निर्मित अरिल नदी के पुल के दोनों तरफ का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त

स्थित में है। जिसके कारण वहां के निवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है तथा बरसात के समय में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जिसकी दूरी लगभग-300 मीटर है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-अतरछेड़ी में अतरछेड़ी-डरूआपुर के बीच में निर्मित अरिल नदी के पुल के दोनों तरफ डामरीकरण सड़क बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,, उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-कानपुर के अन्तर्गत थाना-सचेंडी में उदयपुर नहर पुल से श्री जवाहर सिंह चन्देल के आवास तक लगभग-1200 मीटर सड़क मार्ग का निर्माण तथा सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण कानपुर नगर के मूल निवासी हैं। कानपुर नगर में उदयपुर नहर पुल (थाना-सचेंडी) से जवाहर सिंह चन्देल के आवास तक सड़क मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में है तथा सड़क की चौड़ाई बहुत ही कम है। सड़क की लम्बाई-1200 कि0मी0 तथा चौड़ाई 5.06 मीटर कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास करने के पश्चात् भी कार्य नहीं हुआ। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि कानपुर नगर के उदयपुर नहर पुल से श्री जवाहर सिंह चन्देल के आवास तक सड़क मार्ग का निर्माण तथा सड़क मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
02 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,, उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-अलियापुर में अलियापुर से सुनवर्सा ग्राम तक लगभग-03 कि0मी0 सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण कानपुर देहात के निवासी हैं। कानपुर देहात के अलियापुर से सुनवर्सा तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिसकी दूरी लगभग-03 कि0मी0 है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि कानपुर देहात के अलियापुर से सुनवर्सा तक सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
02 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में श्री राजेन्द्र सिंह के मकान से श्री जगदीश के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में राजेन्द्र सिंह के मकान से जगदीश के मकान तक रास्ता अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं खराब है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में कोई बारात घर न होने से ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में बारात घर बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महेवा, ग्राम-सराय जलाल के अम्बेडकर पार्क में बने बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-सराय जलाल, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासी हैं। हमारे ग्राम सराय जलाल में बने अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा कई वर्षों से स्थापित है जो कि खुले आसमान के नीचे है बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत तथा बाउण्ड्रीवाल कराया जाना जनहित के लिये अति आवश्यक है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि अम्बेडकर पार्क में बने बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत का निर्माण तथा बाउण्ड्रीवाल कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-इटावा के अन्तर्गत मुहल्ला अजीत नगर के गली नं0-6 में श्री सर्वेश कुमार पुत्र राम सहाय के मकान से श्री राधेश्याम पुत्र हृदयराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण मुहल्ला अजीत नगर, गली नं0-6, जनपद-इटावा के मूल निवासी हैं। हमारे मुहल्ला अजीत नगर गली नं0-6 में सर्वेश कुमार पुत्र रामसहाय के मकान से राधेश्याम पुत्र हृदयराम के मकान तक रास्ता बहुत कच्चा है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि अजीत नगर गली, नं0-6 में सर्वेश कुमार पुत्र रामसहाय के मकान से राधेश्याम पुत्र हृदयराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम-शहजादपुर, ''डिडौली पुल'' मुरादनगर में गंगनहर के कच्चा खण्ड़जा नहर से शहजादपुर डिडौली मार्ग तक लगभग-01 कि0मी0 सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-शहजादपुर डिडौली मार्ग मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद के निवासी हैं। हमारे गांव की सड़क जोकि मुरादनगर गंगनहर के दूसरे पुल जिसे ''डिडौली पुल'' के नाम से जाने हैं, के पास का रास्ता कच्चा खण्ड़जा का बना है। जिसकी दूरी लगभग-01 कि0मी0 है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि गंगनहर के कच्चा खण्ड़जा से शहजादपुर डिडौली मार्ग तक सी0सी0/डामर रोड बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत क्रासिंग रिपब्लिक रोड से अपना ढाबा तक लगभग-200 मीटर इण्टरलाकिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण गाजियाबाद के निवासी हैं। क्रासिंग रिपब्लिक रोड से अपना ढाबा तक लगभग-200 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिसके कारण वहां के निवासियों को मार्ग से चलने में काफी असुविधा होती है। जबकि जिला स्तर पर धन की उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि क्रासिंग रिपब्लिक रोड से अपना ढाबा तक इण्टरलाकिंग रोड बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-जालौन के अन्तर्गत ब्लाक-नदीगांव, ग्राम पंचायत-गंगथरा में पक्की सड़क से श्री नरेन्द्र तोमर के दरवाजे तक लगभग-200 मीटर इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-गंगथरा, ब्लाक-नदीगांव, जनपद-जालौन के निवासी हैं। हमारे गांव में पक्की सड़क से श्री नरेन्द्र तोमर के दरवाजे तक का सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिसकी दूरी लगभग-200 मीटर है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-गंगथरा में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-झांसी के अन्तर्गत ब्लाक-मोंठ, ग्राम पंचायत-खड़ौवा में विवाह घर तथा सामुदायिक केन्द्र बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-खड़ौवा, ब्लाक-मोंठ, जनपद-झांसी के निवासी हैं। हमारे गांव में कोई भी विवाह घर तथा सामुदायिक केन्द्र नहीं है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवदेन है कि ग्राम पंचायत-खड़ौवा में विवाह घर तथा सामुदायिक केन्द्र बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-चिनहट के विराम खण्ड-5, गोमती नगर में संकट मोचन मन्दिर के निकट बने पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण विराम खण्ड-5, गोमती नगर, विकास खण्ड-चिनहट, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। विराम खण्ड-5 में संकट मोचन मन्दिर से लगे हुये पार्क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, पार्क में गेट न होने के कारण आवारा पशु पार्क में घूमते रहते हैं। पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई प्रयास किये गये। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-सरोजनी नगर के आशियाना सेक्टर-एन में टंकी वाले पार्क का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-लखनऊ, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, आशियाना सेक्टर-एन के निवासी हैं। आशियाना सेक्टर-एन में एक पार्क है जिसे टंकी वाले पार्क के नाम से जाना जाता है, पार्क का रख-रखाव के अभाव में यह पार्क जर्जर हो गया है। पार्क का जीर्णोद्धार होना जनहित के लिए अति आवश्यक है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि पार्क का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'त'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत तहसील-ऊँचाहार, विकास खण्ड-जगतपुर, ग्राम पंचायत-टाँघन में स्थित झारखण्डेश्वर शिव मन्दिर का बाउण्ड्रीवाल, धर्मशाला, परिक्रमा मार्ग, शौचालय, सोलर लाइट, सड़क का निर्माण तथा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-टाँघन, विकास खण्ड-जगतपुर, तहसील-ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग-200 वर्ष पुराना झारखण्डेश्वर शिव जी का मन्दिर स्थापित है, जो काफी नक्काशीदार एवं दुर्लभ है तथा वर्ष में दो बार वहाँ पर मेला भी लगता है समय व परिस्थितियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण शिव जी के मन्दिर का देख-रेख नहीं हो पा रहा है परिणामस्वरूप मन्दिर काफी दयनीय एवं जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। जिससे वहाँ के लोगों के मान में उदासीनता एवं निराशा की भावना व्याप्त है। झारखण्डेश्वर शिव जी के मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए शासन स्तर पर भी प्रयास किया गया। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचाययत-टाँघन के झारखण्डेश्वर शिव जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'थ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-लखीमपुर (सदर), ग्राम सभा-सैदापुर में करनपुर से मस्जिदपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब ग्रामवासी ग्राम सभा-सैदापुर करनपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। सैदापुर करनपुर एवं मस्जिदपुर तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-सैदापुर में करनपुर से मस्जिदपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण सड़क बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'द'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बदायूँ के अन्तर्गत विकास खण्ड-उझानी के ग्राम-अब्दुल्लागंज में अब्दुल्लागंज गांव से रौली गांव तक लगभग-01 कि0मी0 डामरीकरण सड़क बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-अब्दुल्लागंज, विकास खण्ड-उझानी, जिला-बदायूँ के निवासी हैं। ग्राम-अब्दुल्लागंज से ग्राम-रौली सम्पर्क मार्ग कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, जोकि लगभग-01 कि0मी0 है। सड़क मार्ग पर पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। जिसके कारण सम्पर्क मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-अब्दुल्लागंज से ग्राम-रौली तक डामरीकरण सड़क बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ध'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,, उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत तहसील-शिकोहाबाद, ग्राम-किरथरा ठार में श्री जंग बहादुर तथा बंगालीबाबू के चक से होते हुये श्री नरेन्द्रपाल सिंह के ट्यूबवेल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-किरथरा ठार, तहसील-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद के निवासी हैं। हमारे गांव किरथरा ठार में सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। किरथरा ठार से सड़क की दूरी लगभग 250 मीटर है तथा सड़क के पास दूसरा मौजा जेबडा है वहां किसानों के खेत हैं, वर्तमान में किसानों की खेतों की

मेढ़ों से हम सब गांव वालों को आना-जाना पड़ता है अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाये तो अस्पताल ले जाने के लिये गांव में कोई वाहन नहीं आ सकता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-किरथरा ठार में श्री जंग बहादुर तथा बंगालीबाबू के चक से होते हुये श्री नरेन्द्रपाल सिंह के ट्यूबवेल तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'न'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,, उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत वार्ड लाला लाजपत राय में सब्जी मण्डी, कुर्सी रोड के पीछे प्राइमरी पाठशाला के बगल की आंतरिक सड़कों का इण्टरलॉकिंग रोड तथा नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-लखनऊ के मूल निवासी हैं। लखनऊ में लाला लाजपत राय वार्ड में सब्जी मण्डी, कुर्सी रोड के पीछे प्राइमरी पाठशाला के बगल की आंतरिक सड़कों का इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवदेन है कि लखनऊ के वार्ड लाला लाजपत राय में सब्जी मण्डी, कुर्सी रोड के पीछे प्राइमरी पाठशाला के बगल की आंतरिक सड़कों का इण्टरलॉकिंग रोड तथा नाली बनाये जाने की कृपा करें

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'प'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,, उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत मटियारी बालाजीपुरम में स्थित शहीद भगत सिंह वार्ड संख्या-633 में श्री राम अचल यादव के मकान से श्री अखिलेश कुमार के मकान तक लगभग-500 मीटर सी0सी0/ इण्टरलॉकिंग रोड तथा नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण बालाजीपुरम, मटियारी में स्थित शहीद भगत सिंह वार्ड, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे वार्ड में श्री रामअचल यादव के मकान से श्री अखिलेश कुमार के मकान तक

सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण मोहल्लेवासियों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि बालाजीपुरम, मटियारी में स्थित शहीद भगत सिंह वार्ड संख्या-633 में सी0सी0/ इण्टरलॉकिंग रोड तथा नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'फ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत कमता चिनहट (ईस्माइलगंज द्वितीय) सनसिटी कालोनी में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार, सड़क निर्माण, सीवर लाइन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण सनसिटी कालोनी, कमता चिनहट (ईस्माइलगंज द्वितीय), जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे कालोनी में बिछी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने कारण सीवर से निकलने वाला गन्दा पानी सड़क पर फैली है साथ ही बरसात के समय तालाब का पानी भी सड़क पर भर जाता है। जिसके कारण वहां के लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सनसिटी कालोनी की सड़क बनाये जाने तथा सीवर की मरम्मत एवं तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि सनसिटी कालोनी की सड़क बनाये जाने एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की मरम्मत तथा तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ब'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत विधान सभा-सोरांव के प्रतापगढ़-प्रयागराज राजमार्ग के बीच मलाक चतुरी से भदरी रेलवे क्रासिंग होते हुये मलाक हरहर तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण विधान सभा सोरांव के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़-प्रयागराज राजमार्ग के बीच मलाक चतुरी से भदरी रेलवे क्रासिंग होते हुये मलाक हरहर तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'भ'

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।